

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर श. नं. ०

सु. नं. ७९/२१ अन्याय धनश्याम / सुखपाल

पत्रावली पेश हुई। समय अभाव के कारण आदेश नहीं सुनाया जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 15.03.2022 को पेश हो।

६

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी द्वारा आदेशिका पर सहमति स्वरूप हस्ताक्षर कर पत्रावली नोट प्रेस करने का निवेदन किया है तथा प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः प्रार्थी वकील की प्रार्थना न्यायहित में स्वीकार की जाती है। वकील प्रार्थी द्वारा नोट प्रेस करने के कारण प्रकरण खारिज किया जाता है। पत्रावली कैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

६

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर



२०२१

२

(२०२१)

२०२२

२०२२

२०२१
२०२२
२०२३